4-2000-10 लाख फा.

APP
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

कलेक्टर   मुकाम   बांदीकुई

नाथूलाल .... बनाम .... राज० सरकार

दाता उदयीबगा एवं इन्द्राज एवं निरस्तगी .... नं० 142 / 2024 .... सन ....

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1 / ...026	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। बहस प्रा॰पत्र आदेश 7 नियम 11 जा॰दी॰ सुनी गयी। प्रार्थी/प्रतिवादी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि नगरपालिका बांदीकुई में स्थित है तथा आबादी क्षेत्र पर है। जिसमें सरकारी संस्था पंचायत समिति का निर्माण हो रखा है। पंचायत समिति का कार्य भी संचालित हो रहा है। वाद पत्र के पैरा नं. 1 में वादीगण का स्वीकृत कथन है कि भूमि वादग्रस्त नगरपालिका क्षेत्र में स्थित है। इस प्रकार भूमि वादग्रस्त राजस्व भूमि नहीं है और ना ही वादीगण भूमि वादग्रस्त के खातेदार है। इसलिये धारा 207 LR. Act के तहत न्यायालय हाजा को श्रवण अधिकार प्राप्त नहीं है। भूमि वादग्रस्त पर विगत 65 वर्ष से पंचायत भवन काबिज एवं संचालित है। वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण पं. स. बांदीकुई के नाम खुल चुका है। जमाबंदी में भी पं. सं. बांदीकुई दर्ज है। 65 वर्ष से पं. स. बांदीकुई के काबिज होने पर आज दिन तक किसी प्रकार का कोई उज्र किसी ने नहीं उठाया है। अतः वाद खारिज किया जावें। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	उक्त प्रा. पत्र का जवाब वादीगण द्वारा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया - वादी। अप्रार्थी ने भूमि वादग्रस्त जो कि पंचायत समिति बांदीकुई के नाम खातेदारी दर्ज है वो बिना किसी वैधानिक तरीके से गलत खातेदारी दर्ज हुई है सो उक्त बाबत खातेदारी की इन्द्राज दुरुस्ती, घोषणा का दावापत्र पेश किया है जिसकी सुनवाई का अधिकार न्यायालय हाजा को ही प्राप्त है। उक्त बिन्दु के आधार पर आदेश 07 नियम 11 के तहत दावा खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी का यह कथन की मौके पर पंचायत समिति कार्यालय मौजूद है तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी उसका इन्द्राज है उक्त अवैध कब्जे एवं गलत खातेदारी बिना किसी विधिक अधिकार के प्रार्थी के नाम दर्ज हो जाने से उसे कोई भी विधिक अधिकार भिन अप्रार्थी / वादीगण की भूमि पर प्राप्त नहीं होते है।
	बहस प्रा. पत्र पर मनन किया गया। बहस के दौरान प्रतिवादी का तर्क रहा कि वादग्रस्त 65 वर्षों से पं. स. का कब्जा चला रहा है। वादीगण द्वारा उक्त अवधि में कोई भी उज्र नहीं किया है, बिना कॉज ऑफ एक्शन के दावा पेश किया है जो न्यायालय को श्रवण अधिकार नहीं है। वादीगण वकील के द्वारा बहस के दौरान तर्क किया है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी भूमि रही है, अत: न्यायालय को सुनवाई का अधिकार है। अत: प्रा. पत्र खारिज फरमाया जावे। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि पं. स. बांदीकुई के नाम से दर्ज है तथा वादग्रस्त भूमि पर पं. स. का भवन बना हुआ है जिसमें पं. स. चालू है। जिससे यह

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

होता है कि वादीगण द्वारा
बिना कॉज ऑफ एक्शन के
किया है जो आदेश 7
11 सी.पी.सी. की परिधि में
अतः प्रतिवादी द्वारा पेश प्रा. पत्र
7 नियम 11 का स्वीकार यो
के स्वीकार किया जाता है। वा
स्तर पर खारिज किया
है। प्रकरण फैसलशुमार होक
शामिल दफ्तर दाखिल हो।

[signature]
उपखण्ड अ
बांदीकु

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	… हुक्म … से जारी हुए
…जाहिर होता है कि वादीगण द्वारा …किसी कॉज ऑफ एक्शन के …पेश किया है जो आदेश 7 नियम 11 जा.दी. की परिधि में …जाता है। अतः प्रतिवादी द्वारा पेश प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार योग्य …से स्वीकार किया जाता है। वाद को इसी स्तर पर खारिज किया …जाता है। प्रकरण फैसलशुमार होकर …बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। 06/01/26 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	